

पत्रांक 10/न 4 - 585  
बिहार सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग

149

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,  
उप सचिव,

सेवा में,

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली - 1100921

पटना, दिनांक - 29/06/10

विषय

आनन्द इन्टरनेशनल स्कूल, चिरैयाटांड, पटना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं० - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा आनन्द इन्टरनेशनल स्कूल, चिरैयाटांड, पटना को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय असद चन्द्र फाउण्डेशन के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी०बी०एस०ई० के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति सम्बन्धी पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्यवाई करें। इससे सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं० - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

Birendra Kumar

Principal

Anand International School

Bypass, Krishna Niketan Rd., Jakariyapur, Patna

विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोश में निवास करने वाले बच्चों का नि:शुल्क किया जाएगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनु०जाति, अनु०जनजाति,

Secretary

Shree Anand Chandra Foundation  
Patna, Bihar



148

- वर्ग, अल्पसंख्यक विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रु० प्रति वर्ष होंगे को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जाएगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुल तरिका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
- (iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक कि०मी० एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन कि०मी० तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे लिई गई आवेदन शुल्क का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली अपने स्तर से जांच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित माप दंड के आधार पर संचालित है।
9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसपेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा संबद्ध न रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
10. विभागीय पत्रांक - 46 दिनांक - 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।
12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर आनन्द इन्टरनेशनल स्कूल, चिरैयाटांड, पटना को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।
- अनु० - जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना का जांच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

(ओंकार नाथ आर्य)  
उप सचिव

Brindha Kumar

Principal

Anand International School  
Bypass, Krishna Niketan Rd., Jakariyapur, Patna

Anand

Secretary  
Shree Anand Chandra Foundation  
Patna, Bihar



शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

सचिका संख्या :- 10/न 4-49/2008..... विभागीय पत्रांक- 585 दिनांक- 29.06.2010  
द्वारा आनंद इन्टरनेशनल स्कूल, धिरेयाटांड, पटना को निर्गत अनापति प्रमाण पत्र में विद्यालय  
का स्थलीय पता आनंद इन्टरनेशनल स्कूल, धिरेयाटांड, पटना है। विद्यालय के सचिव द्वारा  
उपलब्ध कराये कार्यपालक दफ्तराधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के आलोक में विद्यालय का स्थल  
परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है। अब उक्त विद्यालय का स्थलीय पता  
आनंद इन्टरनेशनल स्कूल, बाईपास जकरियापुर, झाली, गोपालपुर, पटना होगा।

ह0/-

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई  
दिल्ली-110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक..... 269

दिनांक 28/2/13

प्रतिलिपि : प्राचार्य, आनंद इन्टरनेशनल स्कूल, बाईपास जकरियापुर, झाली, गोपालपुर,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

28/02/13

Bisendra Kumar

Principal

Anand International School  
Bypass, Krishna Niketan Rd., Jakariyapur, Patna

Anand

Secretary

Shree Anand Chandra Foundation  
Patna, Bihar